<u>**ई-मेल**</u>

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 मई, **2026**

विषयः- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2026 लागू किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया आप अवगत हैं कि अधिसूचना संख्या-आई/1306214/2026-8-3099/69/2025, दिनांक 24.04.2026 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 की उपधारा(2-क) के साथ पठित धारा-55 की उपधारा(2) के खण्ड(ग) के अधीन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2026 निर्गत की गयी है, जिसके माध्यम से विकास शुल्क उद्ग्रहण की संशोधित प्रणाली लागू की गयी है। विकास शुल्क उद्ग्रहण की उक्त प्रणाली को लागू किये जाने के फलस्वरूप विकास शुल्क में छूट संबंधी निम्नलिखित शासनादेशों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र.सं.	शासनादेश संख्या व दिनांक	विषय
1.	4016/9-आ-3-2003-49 विविध/2002 दिनांक 30 अगस्त, 2003	औद्योगिक इकाईयों से विकास शुल्क लिये जाने के संबंध में।
2.	2450/9-आ-3-2004-12 विविध/2004 दिनांक 23 अगस्त, 2004	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश क्षेत्र नीति-2004 के अनुपालन में औद्योगिक इकाईयों को विकास शुल्क से छूट दिये जाने के संबंध में।

2 - इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
GURU PRASAD PORALA
(पी0 गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया शासनादेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेब साइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव।